रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1012] **नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936**
No. 1012] **NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISHAKHA 17, 1936**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

का.आ. 1220(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में आदेश सं. एनएच-14012/2/97-पीएल (भाग-I) दिनांक 18 अप्रैल, 2000, भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 8 अक्तूबर, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3049(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2013, तथा भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3245(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 को तत्काल प्रभाव से रद्द करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/3/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडएम)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2014

S.O. 1220(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the order of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number NH-14012/2/97-PL (part-I) dated 18th April, 2000, the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3049(E), dated the 8th October, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 8th October, 2013, and the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3245(E), dated the 25th October, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25th October, 2013, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/3/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

का.आ. 1221(अ).--- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 30 के लिए अनुसूची में और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"30	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 (अगरतला बाइपास सहित) और सं. 44ए का भाग जो त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है।	त्रिपुरा राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच-14013/3/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडएम)

टिप्पण:—प्रधान अधिसूचना को संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार इसमें संशोधन संख्या का. आ. 1044(अ) तारीख 7 अप्रैल, 2014 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2014

S.O.1221(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 30 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"30	So much of National Highway No. 44 [including Agartala by-pass] and No. 44A as are situated within the State of Tripura.	State Government of Tripura."

[F. No. NH-14013/3/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

Note:—The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1044(E), dated the 7th April, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.